संख्या-2555/ III-2/06-41(प्रा.आ.)/06

(29)

(1)

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 26 सितम्बर, 2006

विषय- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 132(एक सौ बत्तीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 132 कार्यों के रूपये 15401.63 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 14550.29 लाख (रूपये एक सौ पैंतालीस करोड़ पचास लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 1.32 लाख (रू0 एक लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों से जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

III-Ge-2006-07

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही जायेगा।

यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही शि का आहरण न करके धनराशि शासन को सर्मपित कर दी जायेगी।

व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी शों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ त आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का क-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी लन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया गा।

आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के न संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य_सड़कें-न्तर्गत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला गा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-621/XXVII(2)/2006 क 22 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

क- 132 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

1255(1)/III-2/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, पौडी/नैनीताल।
समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
मुख्य अभियन्ता, कुमांयू/गढवाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोडा/पौडी ।
वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन ।
गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या 2525 /111(2)/06-41(प्र.आ.)/06 दिनांक 21 सितम्बर, 2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष2006-07 में व्यर की स्वीकृ
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य शिमला मार्ग से नवधान्य रामगढ तक सी.सी. पहुँच मार्ग का निर्माण	700 मी0	12.60	12.60	0.01
2.	फतेहपुर–पीपल–अणिया–छडा–सल्वा मोटर मार्ग का निर्माण	12.00	313.80	264.30	0.01
3.	डोमास–काण्डा–फफड़िया मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित	5.00 + 15मी0 सेतु	133.55	133.55	0.01
4.	रिखोली–जिनोली–खलाड़ मोटर मार्ग का निर्माण	11.00	195.80	195.80	0.01
5.	नाई चौड़ा से सूखा तक मोटर मार्ग निर्माण	2.50	53.50	44.50	0.01
6.	विडारी से पोखधार तक मोटर मार्ग निर्माण	5.00	107.00	89.00	0.01
7.	मल्ला रामगढ डाक बंगाला झूतिया मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	123.90	123.90	0.01
8.	कैंची हरतपा मोटर मार्ग के किमी0 4 से तितोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	170.64	104.40	0.01
9.	नौणिया विनायक–बांसी मोटर मार्ग से सीताबनी–सुन्दरखाल – राजघर होते हुए जू0हा0 बांसी तक मोटर मार्ग	8.00	199.36	139.20	0.01
10.	भतरौंजखान–तौराड़ ह0वा0 मार्ग के अवशेष भाग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए सुधार कार्य	3.50	89.95	89.95	0.01
11.	सोनजाला–घुनियाजाला–फतेहपुर मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	134.34	134.34	0.01
12.	कंसियालेख–सूपी मोटर मार्ग का डामरीकरण	8.00	140.00	140.00	0.01
13.	गोलूछीना–श्रीखेत मोटर मार्ग का भिटारकोट तक विस्तार(मा0मु0म0घो0)	5.00	101.00	89.00	0.01
14.	अल्मोडा–कौसानी मार्ग से सूपाकोट होते हुए रनमन गणनाथ मोटर मार्ग तक निर्माण	8.00 + सेतु	264.80	232.85	0.01
15.	कोसी सुयालबाडी के पास पैदल झूला पुल निर्माण	60मी0	69.00	69.00	0.01
16.	नरेन्द्रनगर में खाडी–पीपलेथ–उत्खंडा मार्ग का विस्तार	3.00	48.60	48.60	0.01
17.	आगराखाल कुसरैला मोटर मार्ग दिउली से आगे गुजराडा तक विस्तार	10.00	162.00	162.00	0.01
18.	सोनी–ससेली मोटर मार्ग का भैंसर्क तक विस्तार	4.00	64.80	64.80	0.01
19.	चामनी–सेमलटा–वीड मोटर मार्ग का पुनः डामरीकरण	10.00	142.00	142.00	0.01
20.	तैला–पलाम मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.00	32.40	32.40	0.01
21.	जीरो ब्रीज कोटेश्वर मार्ग से जू0हा0 क्यारी होते हुए ग्राम सभा क्यारी तक मार्ग निर्माण	2.50	40.50	40.50	0.01
22.	देवलधार–चमोलगांव मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	1.45	20.59	20.59	0.01
23.	विनोद विहार श्यामपुर खर्दी में मार्ग का पुनः निर्माण/सुधार	3.00	52.10	52.10	0.01
24.	बिन्दाल नदी पर चनाचक व बडा भारूवाला के मध्य आर.सी.सी.पुल	45मी0	99.00	93.00	0.01
25.	बिन्दाल नदी पर मोथोरावाला व डकोटा के मध्य ढाबा नामक स्थान पर प्री स्ट्रेट कंकीट सेतु	54 मी0	88.94	85.94	0.01